# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)</u>

प्रकरण संख्या– 43/2019 निर्णय दिनांक – 08.05.2019

श्रीमती बबली पत्नि श्री सुरेश चन्द्र जी जाति नायक उम्र 36 वर्ष निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री जमकलाल पिता श्री लक्ष्मीनारायण जाति टेलर उम्र 45 वर्ष निवासी टाई तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री कालु पिता श्री नारायण जाति नायक उम्र 43 वर्ष निवासी टाई तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री रतन पिता श्री देवीलाल जाति नायक उम्र 32 वर्ष निवासी टाई तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– विपक्षीगण

**<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट</u>**

**<u>आदेश</u>**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा टाई की खाता संख्या 68 होकर आराजी नं0 130 रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा टाई की खाता संख्या 68 होकर आराजी नं0 130 रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

(पंकज शर्मा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**निम्बाहेड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:38:22 IST
Reason: SelfAttested